बिहार सरकार

समाहरणालय, कैमूर

(जिला पंचायत कार्यालय)

Ph No. :- 06189-223241 (O)
Fax No. :- 06189 – 223301
E-mail : dm-bhabua.bih@nic.in

आदेश संख्या.............03........../2019

11 लेखापाल–सह–आईटी0 सहायक के शैक्षणिक योग्यता के सत्यापनोपरान्त इस कार्यालय के आदेश संख्या 03/2019 एवं ज्ञापांक 755/पं0, दिनांक 23.07.2019 तथा आदेश संख्या 06/2019 एवं ज्ञापांक 1009/पं0, दिनांक 24.09.2019 द्वारा 20, कुल 31 का नियोजन किया जा चुका है। वर्त्तमान में 01 लेखापाल –सह–आईटी0 सहायक का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र सत्यापनोपरान्त इनके संबधित विश्वविद्यालय/संस्था से प्राप्त हो चुके हैं, जिनका नियोजन निम्नप्रकार किया जाता है :–

क्र0	चयनित उम्मीदवार का नाम/ पता	जन्म तिथि	Male/ Female	शैक्षणिक योग्यता	पद का नाम	चयन सूची का क्रमांक/आरक्षण
1	2	3	4	5	6	7
1	ROUSHAN KUMAR S/O-SHIVMURTI SINGH, VILL-AUKHRA, PO+PS-CHAINPUR, DIST-KAIMUR	02.06.1991	M	B.COM & M.COM	ACCOUNTANT CUM IT ASSISTANT	07/UR-7

उपरोक्त सूची में अंकित लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक का नियोजन निम्न शर्तो के अनुसार किया जाता है:–

1. प्रत्येक जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुसार चार पंचायत पर एक की दर से लेखापाल–सह–आईटी0 सहायक के पद मान्य होंगे।
2. यह चयन दिनांक 31 मार्च, 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
3. संविदा शर्तो के अनुसार अभ्यार्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा किया जाएगा।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा। वे किसी भी कर्मी को हटाने से पहले नैसार्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे।
5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
6. इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अनुपस्थिति अनुमान्य होगी।
7. **मानदेय**– इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय देय होगा। तत्काल लेखापाल–सह–आईटी0 सहायक को 20,000.00/– रूपया प्रतिमाह का मानदेय अनुमान्य होगा। इसमें समय–समय पर वित्त विभाग की सहमति से वृद्धि की जा सकेगी। आपके योगदान के उपरान्त दोबारा प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही मानदेय भुगतान किया जा सकेगा।
8. मानदेय के आधार पर चयनित ये कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः संमाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

लेखापाल–सह–आईटी0 सहायक के निम्नवत् दायित्व होंगे:–

(i) सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(ii) अभिलेखों का विधिसम्मत् संधारण सुनिश्चित कराना।

(iii) ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण कराना।

(iv) ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक सामाधान विवरणी तैयार कराना।

(v) अंकेक्षण सम्पन्न कराना।

(vi) सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।

(vii) e-Panchayat का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(viii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले अन्य आवंटित कार्यो को सम्पन्न कराना।

उपरोक्त सभी चयनित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है वे दिनांक 20-02-2020 तक जिला पंचायत कार्यालय में एकरारनामा के अलावे निम्न कागजात के साथ योगदान करना सुनिश्चित करेंगें।

1. चिकित्सा प्रमाण–पत्र (सिविल सर्जन द्वारा निर्गत)
2. अपराधिक मुकदमा नहीं रहने का शपथ पत्र (मूल में)
3. दहेज नहीं लेने/नहीं देने का शपथ पत्र (मूल में)
4. शैक्षणिक योग्यता की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

Sd/-
जिला पदाधिकारी,
कैमूर।

ज्ञापांक XV-06-2020-...... 204/ पं0, दिनांक 10-2-2020/

प्रतिलिपि :– सभी नियोजित लेखापाल–सह–आईटी0 सहायक को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी/आईटी0 प्रबंधक, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आईटी0 प्रबंधक इसे कैमूर के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कैमूर जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कैमूर जिले के सभी वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– चयन समिति के सभी सदस्यगण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10.2.20
जिला पदाधिकारी,
कैमूर।